संलग्नक संख्या–

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

(वन अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या– 7314/14–03–980,/82 दिनांक 31.12. 1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. प्रयोक्ता एजंसी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता ऐजेंसी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगें और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाए गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति पूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिचाई विभाग /जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों /पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि **(Automatic)** स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर (संरेखण)"एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0नि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता सा0नि0नि0 कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या–608 सी0 दिनांक 10.02.1982 में निहित आदेशों का पातन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा

वन मार्गो को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा। बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से प्रर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12. वन विभाग का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के अधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खेड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के पालन पर दस पेड़ो का रोपण तथा तीन वर्ष तक परितोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30^0 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज (OAK) के पेड़ो का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ो का कटान नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों का ऊंचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेडों का बचाया जायेगा, यदि फिर भी पेडों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेडों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनो पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याची अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगायी जाती हैं तो वे याचक विभाग को मान्य होगीं।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गयी शर्ते प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य है।

स्थान–मुजफ्फरनगर
दिनांक–

23-12-2021
(अजय भास्कर)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-I, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-I, लो0नि0वि0
मुजफ्फरनगर